



प्रारूप-6 (नियम-8)

कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,  
गुप्तवार्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक :-विशा/प्रा.सु.ए.(फा.- 01/11) 2018-10-ए ( 691 ) दिनांक :- 18/06/2018

निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति

आवेदक/आवेदिका का नाम :- श्री श्यामल कर्मकार

पिता/पति :- स्व0 श्री हरीपद कर्मकार

निवासी :- 5 आद्यनाथ साहा, रोड, कोलकाता (प.बंगाल)।

जिले का नाम :- संपूर्ण छत्तीसगढ़।



आवेदक श्री श्यामल कर्मकार आ0 स्व0 श्री हरीपद कर्मकार एवं भागीदार श्रीमती सुब्रता कर्मकार पति श्री श्यामल कर्मकार दोनों निवासी एच.ए. 77, सेक्टर 3, साल्टलेक सिटी, कोलकाता (प.बंगाल) स्थायी निवासी 5 आद्यनाथ साहा रोड, कोलकाता (प.बंगाल) को निजी सुरक्षा अभिकरण व्यवसाय प्रचालन के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 5 (क) तथा धारा 25 के अंतर्गत बनाये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए "एस एण्ड आई बी सर्विसेस प्रा0लि0" के नाम से अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2008 में दर्शित समस्त नियमों के पालन करने की शर्तों के अधीन जारी दिनांक से 05 (पांच) वर्ष तक वैध रहेगा।

अनुज्ञप्तिधारी के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

जारी करने का स्थान - विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर।

जारी दिनांक - 18/06/2018

वैधता अवधि - 17/06/2023



18.06.18  
नियंत्रक प्राधिकारी/  
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  
गुप्तवार्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर